

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1995

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937

No. 1995]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

का.आ. 2543(अ).—िनम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पिठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में अवस्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और उत्तरी अधिकतम सीमा 75°46'00.0"-24°456'45.0" पूर्वी अधिकतम सीमा 75°50'03.5"-24° 42'02.0" दक्षिणी अधिकतम सीमा 75°31'49.0" 34'05.0" पश्चिमी अधिकतम सीमा 75°22'04.0"-24° 38'32.0" के अक्षांश और देशान्तर के बीच राजस्थान से जुड़े

368.92 क्षेत्र में फैला एक शुष्क पर्णपाती वन है जो मुख्यत: एनोगेसस पेंडुला, एकशिया केटेचु और वोसवेलिया सेरेट समुदायों और उनसे सहबद्ध पेड़ पौधों से युक्त है और मानवीय आवास से मुक्त है

और जहाँ यह क्षेत्र जैव विविधता में संपन्न है,

वृक्षों कि 70 प्रजाति, जड़ी बूटियों एवं सर्प कि 23 प्रजाति, क्रिम्बर्स एवं परजीवो कि 9 प्रजाति, घासों तथा बम्बो कि 16 प्रजाति, पक्षियों कि 65, मछलियाँ 14, सरीसृप 17 और उभयचरों कि 5 प्रजाति तितलियो कि 15 प्रजातियो को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में अभिलिखित किया गया है।

और जहाँ अभयारण्य, क्षेत्र के सभी सामान्य पशुओं से बसा हुआ है जैसे कि मासाहारियों में बाघ, भेड़िया, सियार, भारतीय लोमड़ी, धारीदार लकडबग्घा, स्लोथ बियर, और शाकाहारियों में नीलगाय, चिंकारा, जंगली,सूअर हैं।

और, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों लन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 3 किलोमीटर चारो ओर के विस्तारित क्षेत्र को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 3 किलोमीटर तक विस्तार के साथ 310.502 वर्ग किलोमीटर तक होगा और गांधी वन्यजीव अभयारण्य के सीमा विवरण और जीपीएस निर्देशांकों के निबंधनों में इसका पारिस्थितिक जोन उपाबंध –। पर दिया गया है।
 - (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 19 ग्रामों की सूची उपाबंध-II पर उपाबद्ध है |
- (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र इसकी सीमा विवरणों और अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध III पर उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
 - (2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |
- (3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन ;
 - (iii) नगर विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;

- (v) नगरपालिक;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि;
- (viii) मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग
- (6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी;
- (7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूगि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के रथान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके |
 - (10) मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के लिए अलग आंचलिक महायोजनाएं तैयार करेगी |
- 3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 11, 23, 27, 28, 29 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:—

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़को को चौड़ा करना और मजबूत बनाना तथा नए सड़कों का सन्निर्माण ;
- (iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार, सुविधा स्टोर और स्थानीय सुख सुविधाएं हैं;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी सिमिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) प्राकृतिक स्रोतों -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार के परामर्श से तैयार होगी।
 - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संबेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;
 - (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थलों पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

- (7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) बहिस्राव का निस्सारण पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
 - (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
 - (12) औद्योगिक ईकाइयां -
- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ट आधारित नए उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार गठित विद्यमान काष्ट आधारित उद्योगों के सिवाय नहीं की जाएगी
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी स्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

3961 55715-2

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	सारणा टीका-टिप्पणी		
(1) •	(2)	(3)		
1.	तिसिद्ध क्रियाकलाप : वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाइयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषद्धि किया जाएगा;		
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।		
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।		
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।		
4.	जल या वायु या मृदा या ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।		
5.	बकरी पालन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।		
6.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।		
7.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	राज्य स्तरीय समिति द्वारा अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप किसी नदी और प्राकृतिक नाले के किनारे से 100 मीटर तक और पहाड़ी पर 1 से 10 से अधिक ढलान तक नहीं किया जाएगा।		
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।		
9.	प्लास्टिक थैलों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।		
10.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।		
Ŷ.	ख. विनियमित क्रियाकलाप	•		
11.	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थार्य अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीट के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं र्द		
		जाएगी ; तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तव सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यट महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों व अनुरूप होगा		
12.	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार निए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबर कियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि प सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधि		

		सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ
65	E	न्यूनतम तक रखा जाएगा
-		पारिस्थितिक संवेदी जोन सन्निर्माण के विस्तार तक एक किलोमीटर परे
		सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य
		सित्रमीण क्रियाकलापों का विवरण जोनल महायोजना के अनुसार किया
		जाएगा
13.	खाई का मैदान।	नए खाई खोदने के मैदान का स्थापित किया जाना प्रतिषिद्ध है पुराने खाई
		के मैदान लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएं
14.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में	
	अनपचारित बहिस्रार्व और ठोस	
	अपशिष्टों का निस्तारण ।	
15.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	भू-जल उत्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन,
		सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं
		होगी।
S.E.		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन
		बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
	*	(ग) आरक्षित वनो तथा संरक्षित वनो के मामले में कार्य योजना निर्धारण का
40	200	अनुसरण होगा।
19.	डेयरी क्रियाकलाप और पशुपालन ।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित
20.	अधिसूचना की तारीख को स्थानीय	अधिसूचना की तारीख को यथा-विद्यमान
	समुदायों द्वारा कृषि और बागवानी	
21.	प्रथा।	The state of the s
22.	विद्यमान स्थापन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	विद्युत लाइनों का पृथक्करण ।	भूमितगत केबलों का प्रोन्नयन पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर से गुजरने
		वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना के अधीन
		विहित समय सीमा के भीतर पर्याप्त रूप से पृथक्कृत किया जाएगा
23.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू
	उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	अनुसार होंगे।
24.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों	
24.	में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
		वन्यजीव के मुक्त संचरण को अनुज्ञात करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी
		जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों की कटीली तार से
		उनकी संपत्तियों को नहीं घेरा जाएगा और कोई घेरा 1 मीटर से ऊंचा नहीं
		होगा इस अनुबंध का पालन न करने वाले किसी विद्यमान घेरे को आंचलिक
-		महायोजना में समय-सीमा के उपान्तरित किया जाएगा
***************************************	ŧ	विर्धित क्रियाकलाप
25.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
26.	सभी क्रियाक्लापों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
8	तकनीक का अंगीकरण ।	
27.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढ़ोवा दिया जाए ।
	कारीगर आदि भी हैं।	
	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

29.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा
		उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक
		उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं
		डालते हैं।
30.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(ক)	संभागयी आयुक्त, उज्जैन	अध्यक्ष ं
(ख)	जिला कलक्टर, मंदसौर/नीमच	सदस्य
(ग)	संभागीय वन अधिकारी, मंदसौर/नीमच	सदस्य 📝
(ঘ)	मुख्य म्युनिसिपल अधिकारी नगरपालिका मंदसौर/नीमच	सदस्य
(ङ)	अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग/डब्ल्यूआरडी/पीडब्ल्यूडी/एमपीईबी मंदसौर/नीमच	सदस्य
(च)	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष	सदस्य
	के लिए नामित एक विशेषज्ञ	
(छ)	मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन का प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित	सदस्य
	एक प्रतिनिधि (पर्यावरण और विरासत संरक्षण) के क्षेत्र में कार्यरत)	
(ज)	सीईओ, जिला पंचायत, मंदसौर/नीमच	सदस्य
(झ)	नगर और शहरी योजना बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ञ)	मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(Z)	मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन	सदस्य-सचिव
निर्देश	। शर्तें -	

- (2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का संदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को उपाबंध IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 7. इस. अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/78/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध - ।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कि सीमा के बिन्दुओं का जी. पी. एस. निर्देशांक

क्र. सं.	जीपीएस	देशान्तर	अक्षांश
1	पू01	75° 22.124' पू	24° 38.489' ਤ
2	पू 02	75° 23.550' पू	24° 41.410' उ
3	पू 03	75° 32.090' पू	24° 42.695' उ
. 4	पू 04	75° 36.575' पू	24° 40.896' ਤ
5	पू 05	75° 41.055' पू	24° 43.423' ਤ
6	पू 06	75° 48.237' पू	24° 45.333' ਤ
7	पू 07	75° 48.407' पू	24° 38.585' ਤ
8	पू 08	75° 42.713' पू	24° 41.165' ਤ
9	पू 09	75° 39.129′ पू	24° 38.678' ਤ
10	पू 10	75° 33.263' पू	24° 37.723' उ
11	पू 11	75° 33.020' ਧ੍ਰ	24° 34.150' ਤ
12	पू 12	75° 31.341' पू	24° 37.050′ ਤ
13	पू 13	75° 26.008' पू	24° 36.441' ਤ

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिक संवेदी जोन कि सीमा के बिन्दुओं का जी. पी. एस. निर्देशांक

क्र. सं.	जीपीएस	देशान्तर	अक्षांश
1	पू 01	75° 24.910' पू	24° 41.475' ਤ
2	पू 02	75° 32.871' पू	24° 42.628' ਤ
3	पू 03	75° 36.090' पू	24° 41.292' ਤ
4	पू 04	75° 40.638' पू	24° 43.496' उ
5	पू 05	75° 45.320' पू	24° 46.077' ਚ
6	पू 06	75° 50.243′ पू	24° 44.181' ਤ

7	पू 07	75° 49.017' ਧ੍ਰ	24° 38.674' ਤ
8	पू 08	75° 44.169' पू	24° 39.662' ਤ
9	पू 09	75° 39.526' पू	24° 38.468' ਤ
10	पू 10	75° 33.861' पू	24° 38.297' ਤ
11	पू 11	75° 33.301' पू	24° 33.968' उ
12	पू 12	75° 30.377' पू	24° 36.333' उ
13	पू 13	75° 24.826' पू	24° 36.218' ਤ
14	पू 14	75° 21.872' पू	24° 38.436' ਤ


उपाबंध II

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के ग्रामों की अक्षांश और देशान्तर के साथ सूची

क्र. सं .	विभाग के नाम	गांव के नाम	जिला	देशान्तर	अक्षांश
1	नीमच	दायली	नीमच	75° 24'09.2"	24° 35'27.3"
2 .	नीमच	बुज	नीमच	75° 28'44.1"	24° 34'43.5"
3	नीमच	रावलीकुदी	नीमच	75° 30'43.3"	24° 36'42.8"
4	नीमच	कामपुरा	नीमच	75° 33'35.0"	24° 39'47.9"
5	मांदसौर	गांधीसागर	मांदसौर	75° 33'54.3"	24° 41'16.3"
6	मांदसौर	प्रेमपुरीया	मांदसौर	75° 40'53.5"	24° 38'01.1"
7	मांदसौर	धावद	मांदसौर	75° 42'26.2"	24° 40'40.1"
8	मांदसौर	सावंत	मांदसौर	75° 45'45.5"	24° 40'14.2"
9	मांदसौर	केथुली	मांदसौर	75° 48'49.9"	24° 38'10.1"
10	मांदसौर	हरीघर	मांदसौर	75° 49'43.8"	24° 42'20.0"
11	मांदसौर	दंतला	मांदसौर	75° 50'00.7"	24° 43'42.7"
12	मांदसौर	भगवानपुरा	मांदसौर	75° 49'13.5"	24° 39'17.4"
13	छितुरगरहा (राज.)	जमुनिया	छितुरगरहा (राज.)	75° 28'30.5"	24° 42'04.9"
14	छितुरगरहा (राज.)	फत्तलाब	छितुरगरहा (राज.)	75° 34'00.5"	24° 43'30.5"
15	छितुरगरहा (राज.)	बादिया	छितुरगरहा (राज.)	75° 44'28.4"	24° 45′54.7′
16	कोटा (राज.)	खानी	कोटा (राज.)	75° 48'43.8"	24° 45'49.8'
17	कोटा (राज.)	मदनपुरीया	कोटा (राज.)	75° 50'42.2"	24° 42'45.9
18	कोटा (राज.)	नुरपुरा	कोटा (राज.)	75° 50'08.1"	24° 41'05.5
19	कोटा (राज.)	धानी (रुगनाथपुरा)	कोटा (राज.)	75° 50'43.6"	24° 41'41.9

उपाबंध - ॥

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशान्तर के साथ मानचित्र



उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तिथि।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2015

S.O. 2543(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary located in Mandsaur and Neemuch Districts of Madhya Pradesh and lying between latitudes and longitudes of Northern most limit 75°46′00.0"-24°45′45.0" Eastern most limit 75°50′03.5"-24° 42′02.0" Southern most limit 75°31′49.0" 24° 34′05.0" western most limit 75°22′04.0"-24° 38′32.0" spread over an area of 368.92 sq. kms. adjoining Rajasthan is a dry deciduous forest, consisting mainly of Anogeissus Pendula, Acacia catechu and Boswellia serrate communities and their associated flora and is free from human habitation;

AND WHEREAS, the area is rich in biodiversity, 70 tree species, 23 herbs and shrubs species 9 climbers and parasites 16 grasses and bamboo species, 18 mammals, 65 birds, 14 fish, 17 reptiles and 5 species of amphibians, 15 species of butterfly have been recorded in Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the sanctuary is inhabited by all usual animals of the region, such as leopard, wolf, jackal, Indian fox, striped hyena, sloth bear among carnivorus and Nilgai, Chinkara, Wild pig amongst herbivores;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive

Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 3 kms. around the boundary of Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 310.502 sq. kms. with an extent upto 3 kms. around the boundary of Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary and the boundary details of Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary and its eco-sensitive zone in terms of GPS coordinates are given in Annexure-I.
- (2) The list of 19 villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-II.
- (4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-III.
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
- (i) Environment;
- (ii) Forest:
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal:
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture:
- (viii) Madhya Pradesh State Board;
- (ix) Irrigation; and
- (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (6) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (7) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (8) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

3961 50715-4

- (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The State Government of Madhya Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.
- 3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 23, 27, 28, 29 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Small scale industries not causing pollution:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) Natural springs.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) Tourism.- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Kalsubai Harishchandragad Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution.- The Environment Department of the State Government or Madhya PradeshState Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Ecosensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.
- (7) Air pollution.- The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time:
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial Units.** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	P	rohibited Activities
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal
		consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.
5.	Goat farming.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		Regulated Activities
11.	Establishment of hotels and resorts.	within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of
	•	existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan
12.	Construction activities.	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the
		activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to

		small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulation
	Ti de la constanta de la const	Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonel Market Pl
13.	Trenching ground.	Zonal Master Plan. Establishing of new trenching ground is prohibited. Ol
14.	Discharge of effluents and solid	Regulated under applicable laws.
	waste in natural water bodies of land area.	
15.	Air and Vehicular Pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest of Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with
		rules made thereunder;
19.	Doing opticities 6 all	(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
	Dairy activities & cattle rearing.	Regulated under applicable laws and Zonal Master Plan.
20.	Agriculture and horticulture practices by local communities as on the date of notification.	As existent on the date of notification.
21.	Existing establishments .	Regulated under applicable laws.
22.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
23.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
24.	Fencing of existing premises of	Regulated under applicable laws.
	hotels and lodges.	In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
25 1	P	romoted Activities
25.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
26.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
27.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Small scale industries not	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based

		impact on environment shall be permitted.
30.	Use of renewable energy	Shall be actively promoted.
	sources.	

5.Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Madhya Pradesh, which shall comprise of the following namely:—

of the r	onowing namely.	Chairman.
1.	Divisional Commissioner, Ujjain.	Member.
2.	District Collector, Mandsaur/Neemuch.	Member.
3.	Divisional Forest Officer Mandsaur/Neemuch.	Member.
4.	Chief Municipal Officer Nagarpalika Mandsaur/Neemuch.	Member.
5.	Superintendent Engineer, Public Health Department/ w RD/P w D/Wil EB	Memoci.
	Mandagur Magmuch	Member.
δ.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the	TVLOINGUA.
	of Modbus Prodech for a period of one year.	
7.	O servet times of Non-governmental Organization (Working in the	IVICINOOI.
	Gold of environment including heritage conservation) to be nonlineated by	
	the Government of Madhya Pradesh for a period of one year.	
o 0.	CEO of Lila Panchavat, Mandsaur/Neemuch.	Member.
	Representative of the Town and Country Planning Board.	Member.
9.	Representative of the Pollution Control Board.	Member.
10.	Representative of Mr Foliulon Condo Dones.	Member-Secretary
11.	Chief Conservator of Forests, Ujjain.	

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma appended at **Annexure-IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/78/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary details of Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone

GPS co-ordinates of points along the boundary of Gandhi Sagar WLS

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude		
1	E01	75° 22.124' E	24° 38.489' N		
2	E02	75° 23.550' E	24° 41.410' N		
3	E03	75° 32.090' E	24° 42.695' N		
4	E04	75° 36.575' E	24° 40.896' N		
5	E05	75° 41.055′ E	24° 43.423' N		
6	E06	75° 48.237' E	24° 45.333' N		
7	E07	75° 48.407' E	24° 38.585' N		
8	E08	75° 42.713' E	24° 41.165' N		
9	E09	75° 39.129' E	24° 38.678' N		
10	E10	75° 33.263' E	24° 37.723' N		
11	E11	75° 33.020′ E	24° 34.150' N		
12	E12	75° 31.341' E	24° 37.050' N		
13	E13	75° 26.008' E	24° 36.441' N		

GPS co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone Gandhi Sagar WLS

Sl. No. GPS		Longitude	Latitude		
1	E01	75° 24.910′ E	24° 41.475' N		
2	E02	75° 32.871' E	24° 42.628' N		
3	E03	75° 36.090′ E	24° 41.292' N		
4	E04	75° 40.638' E	24° 43.496' N		
5	E05	75° 45.320' E	24° 46.077' N		
6	E06	75° 50.243' E	24° 44.181' N		
7	E07	75° 49.017' E	24° 38.674' N		
8	E08	75° 44.169' E	24° 39.662' N		
9	E09	75° 39.526' E	24° 38.468' N		
10	E10	75° 33.861' E	24° 38.297' N		
11	E11	75° 33.301' E	24° 33.968' N		
12	E12	75° 30.377' E	24° 36.333' N		
13	E13	75° 24.826′ E			
14 E14 75° 21.872' E		75° 21.872' E	24° 38.436′ N		

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES IN GANDHI SAGAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDES <u>AND LONGITUDES</u>


Village with Geographical coordinates within the Gandhisagar Eco-sensitive Zone

SI. No.	Name of Division	Name of Village	District	Longitude	Latitude
1	Neemuch	Dayli	Neemuch	75° 24'09.2"	24° 35'27.3"
2	Neemuch	Buj	Neemuch	75° 28'44.1"	24° 34'43.5"
3	Neemuch	Rawlikudi	Neemuch	75° 30'43.3"	24° 36'42.8"

4	Neemuch	Kampura	Neemuch	75° 33'35.0"	24° 39'47.9"
5	Mandsaur	Gandhisagar	Mandsaur	75° 33'54.3"	24° 41'16.3"
6	Mandsaur	Prempuriya	Mandsaur	75° 40'53.5"	24° 38'01.1"
7	Mandsaur	Dhawad	Mandsaur	75° 42'26.2"	24° 40'40.1"
8	Mandsaur	Sawant	Mandsaur	.75° 45'45.5"	24° 40'14.2"
9	Mandsaur	Kethuli	Mandsaur	75° 48'49.9"	24° 38'10.1"
10	Mandsaur	Harighar	Mandsaur	75° 49'43.8"	24° 42'20.0"
11	Mandsaur	Dantla	Mandsaur	75° 50'00.7"	24° 43'42.7"
12	Mandsaur	Bhagwanpura	Mandsaur	75° 49'13.5"	24° 39'17.4"
13	Chitoorgarha(Raj.)	Jamuniya	Chitoorgarha(Raj.)	75° 28'30.5"	24° 42'04.9"
14	Chitoorgarha(Raj.)	Futtalab	Chitoorgarha(Raj.)	75° 34'00.5"	24° 43'30.5"
15	Chitoorgarha(Raj.)	Badiya	Chitoorgarha(Raj.)	75° 44'28.4"	24° 45'54.7"
16	Kota (Raj.)	Khani	Kota (Raj.)	75° 48'43.8"	24° 45'49.8"
17	Kota (Raj.)	Madanpuriya	Kota (Raj.)	75° 50'42.2"	24° 42'45.9"
18	Kota (Raj.)	Nurpura	Kota (Raj.)	75° 50'08.1"	24° 41'05.5"
19	Kota (Raj.)	Dhani	Kota (Raj.)	75° 50'43.6"	24° 41'41.9"
	(1.11)	(Rugnathpura)			

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GANDHI SAGAR WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES



396155715-6

ANNEXURE-IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings:
- Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan :
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record : Details may be attached as Annexure:
- Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:
 - Details may be attached as separate Annexure:
- Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:
 - Details may be attached as separate Annexure:
- 7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
- 8. Any other matter of importance: